न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सुश्री श्वेता कोचर जैदी आर0ए0एस0

प्रार्थना–पत्र सं0 : 84 सन 2018

अनवान :–

1. मोहरसिह पुत्र रिछपाल जाति जाट निवासी ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

सायल

बनाम

1. फुलाराम पुत्र रिछपाल जाति जाट निवासी ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर।
2. श्रीचन्द पुत्र रिछपाल जाति जाट निवासी ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर।
3. विनोद 4 सतवीर पि0 श्रीचन्द जाति जाट निवासी ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता सायल
श्री हवासिह पुनयिा अधिवक्ता गैरसायल 1ता 4

निर्णय दिनांक :– 12/03/2020

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा के खाता संख्या 82/138 के खसरा न0 2/4.0710 ,134/3.4400 ,152/6.8540हैक भूमि मुश्तरका खाता में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है जिसमें सायल अकेला 1/2 हिस्सा , गैरसायल न0 1 अकेला 1/4 हिस्सा , गैरसायल न0 2 ता 4 बहिब 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार दर्ज है।

उपरोक्त भूमि का खाता व लगान मुश्तरका है तथा सायल व गैरसायल ने उक्त 14.3650हैक भूमि का खाता व लगान मुश्तरका है उक्त खाते में काफी हिस्सेदार सहभागीदार होने के कारण भूमि काश्त सीमाएं तथा अधिकारों के बाबत फरीकेन दावा में आपस में तनाजात रहते है तथा खेत में बनी डिग्गी कोठा को लेकर झगडा रहता है इसलिये सायल अपना उक्त भूमि का खाता व लगान मुताबिक कब्जा काश्त तक्सीम करवा अलग अलग करवाने का अधिकारी है।

सायल ने अपनी भूमि में काफी परिश्रम कर सुधार कर उपजाउ बना रखा है तथ अपने खेत में पानी की डिग्गी तथा कृषि उपकरण व सुविधा हेतु कोठा बना रखा है तथा मुश्तरका खाता के आधार पर गैरसालय उनके कब्जा काश्त की व सुधारी हुई भूमि पर काबिज होना चाहते है जिससे इनके अधिकारों का हनन होता है और उन्हे अपूर्णीय क्षति होगी इसलिये गैरसायल के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी है।

अतः गैरसायलान संख्या 1 ता 4 को पाबन्द किया जावे की वह रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा के खाता संख्या 82/138 की कुल 14.3650 हैक भूमि में सायला के कब्जा काश्त में बनी हुई डिग्गी खेत में निर्मित मकान में बाधा न डालें।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर गैरसायलान को जरिये सम्मन /नोटिस तलब किया गया गैरसायल न0 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया की

गैरसायलान विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है इसलिये इनके खिलाफ किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है सायल एवं गैरसायलान संख्या 1 ता 4 ने विवादित भूमि की काश्त की सुविधा के लिये बाहमी बटवारा कर रखा है गैरसायल न0 2 ता 4 ने अपनी कब्जा काश्त की भूमि में सायल व गैरसायल न0 1 व किशनाराम की सहमति से पानी की डिग्गी का निर्माण कर रखा है एवं कोठा बना रखा है सायल ने सारेतथ्य गलत दर्ज किये है सायल खूद आये दिन गैरसायल के खिलाफ झुठे मुकदमें करवाता आ रहा है गैरसायल विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है किशनाराम पुत्र रिछपाल ने विवादित भूमि में अपना जो भी हक हिस्सा था वह तर्क कर दिया है इसलिये विवादित भूमि में अपना जो भी हक हिस्सा था वह तर्क कर दिया इसलिये विवादित भूमि में उनका हक हिस्सा शेष नही है दस्तबरदारी कोई हस्तान्तरण दस्तावेज नही है

दस्तबरदारी से कोई हक तब्दील नही होते है ना ही किसी विशेष हकदार को कोई काश्तकारी हक हासिल होते है दस्तबारदारी से दस्तबरदार होने वाले सहकाश्तकारों का उस खातें की भूमि में हक समाप्त हो जाता है तथा उस खाता के बकाया सभी सहकाश्तकारों बहिब के मुश्तरका हकदार व काश्तकार हो जाते है दस्तबरदारी दिनांक 23.03.2018 द्वारा किशनाराम पुत्र रिछपाल का हक व हिस्सा समाप्त हो गया अब वादग्रस्त भूमि में उसका कोई हक हिस्सा शेष नही रहा है दस्तबरदारी दिनांक 23.03.201 से सायल अकेले को कोई हक हिस्सा प्राप्त नही होता है बल्की किशनाराम का उस खाते से हक हिस्सा समाप्त हो गया है और उसका हिस्सा सायल व गैरसायल न0 1 ,2 के पक्ष में समाहित हो गया है दस्तबरदारी दिनांक 23.03.2018 गैरसायल न0 1 ,2 शुन्य व प्रभावहीन है गैरसायल न0 1 ,2 दस्तबरदारी दिनांक 23.03.2018 को शुन्य व प्रभावहीन धोषित करवानकर विवादित भूमि अपने 2/3 हिस्सा की धोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है प्रार्थना केवल गैरसायल को परेशान करने की नियत से पेश किया गया है जो खारिज फरमाया जावे।

गैरसायलान न0 1 ता 4 का जबाब पेश होने पर शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा के खाता संख्या 82/138 के खसरा न0 2/4.0710 ,134/3.4400 ,152/6.8540हैक भूमि मुश्तरका खाता में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है जिसमें सायल अकेला 1/2 हिस्सा , गैरसायल न0 1 अकेला 1/4 हिस्सा , गैरसायल न0 2 ता 4 बहिब 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार दर्ज है।

उपरोक्त भूमि का खाता व लगान मुश्तरका है तथा सायल व गैरसायल ने उक्त 14.3650हैक भूमि का खाता व लगान मुश्तरका है उक्त खाते में काफी हिस्सेदार सहभागीदार होने के कारण भूमि काश्त सीमाएं तथा अधिकारों के बाबत फरीकेन दावा में आपस में तनाजात रहते है तथा खेत में बनी डिग्गी कोठा को लेकर झगडा रहता है इसलिये सायल अपना उक्त भूमि का खाता व लगान मुताबिक कब्जा काश्त तक्सीम करवा अलग अलग करवाने का अधिकारी है।

सायल ने अपनी भूमि में काफी परिश्रम कर सुधार कर उपजाउ बना रखा है तथ अपने खेत में पानी की डिग्गी तथा कृषि उपकरण व सुविधा हेतु कोठा बना रखा है तथा मुश्तरका खाता के आधार पर गैरसालय उनके कब्जा काश्त की व सुधारी हुई भूमि पर काबिज होना चाहते है जिससे इनके अधिकारों का हनन होता है और उन्हे अपूर्णीय क्षति होगी इसलिये गैरसायल के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान संख्या 1 ता 4 को पाबन्द किया जावे की वह रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा के खाता संख्या 82/138 की कुल 14.3650 हैक भूमि में सायला के कब्जा काश्त में बनी हुई डिग्गी खेत में निर्मित मकान में बाधा न डालें।

गैरसायल न0 1 ता 4 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की गैरसायलान विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है इसलिये इनके खिलाफ किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है सायल एवं गैरसायलान संख्या 1 ता 4 ने विवादित भूमि की काश्त की सुविधा के लिये बाहमी बटवारा कर रखा है गैरसायल न0 2 ता 4 ने अपनी कब्जा काश्त की भूमि में सायल व गैरसायल न0 1 व किशनाराम की सहमति से पानी की डिग्गी का निर्माण कर रखा है एवं कोठा बना रखा है सायल ने सारेतथ्य गलत दर्ज किये है सायल खूद आये दिन गैरसायल के खिलाफ झुठे मुकदमें करवाता आ रहा है गैरसायल विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है किशनाराम पुत्र रिछपाल ने विवादित भूमि में अपना जो भी हक हिस्सा था वह तर्क कर दिया है इसलिये विवादित भूमि में अपना जो भी हक हिस्सा था वह तर्क कर दिया इसलिये विवादित भूमि में उनका हक हिस्सा शेष नही है दस्तबरदारी कोई हस्तान्तरण दस्तावेज नही है दस्तबरदारी से कोई हक तब्दील नही होते है ना ही किसी विशेष हकदार को कोई काश्तकारी हक हासिल होते है दस्तबारदारी से दस्तबरदार होने वाले सहकाश्तकारों का उस खातें की भूमि में हक समाप्त हो जाता है तथा उस खाता के बकाया सभी सहकाश्तकारों बहिब के मुश्तरका हकदार व काश्तकार हो जाते है दस्तबरदारी दिनांक 23.03.2018 द्वारा किशनाराम पुत्र रिछपाल का हक व हिस्सा समाप्त हो गया अब वादग्रस्त भूमि में उसका कोई हक हिस्सा शेष नही रहा है दस्तबरदारी दिनांक 23.03.201 से सायल अकेले को कोई हक हिस्सा प्राप्त नही होता है बल्की किशनाराम का उस खाते से हक हिस्सा समाप्त हो गया है और उसका हिस्सा सायल व गैरसायल न0 1 ,2 के

पक्ष में समाहित हो गया है दस्तबरदारी दिनांक 23.03.2018 गैरसायल न0 1 ,2 शुन्य व प्रभावहीन है गैरसायल न0 1 ,2 दस्तबरदारी दिनांक 23.03.2018 को शुन्य व प्रभावहीन धोषित करवानकर विवादित भूमि अपने 2/3 हिस्सा की धोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है प्रार्थना केवल गैरसायल को परेशान करने की नियत से पेश किया गया है जो खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सायल व गैरसायलान के नाम से मुश्तकरा खाते में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है जिसका खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया है जो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर सायल व गैरसायल के हक हिस्सा के अनुसार खाता विभाजन होना है तथा गैरसायल ने दस्तबरदारी दिनांक 23.03.2018 को शुन्य एवं प्रभावहीन करवाने का अनुतोष चाहा गया है जो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण सूविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है।

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा के खाता संख्या 82/138 के खसरा न0 2/4.0710 ,134/3.4400 ,152/6.8540हैक भूमि मुश्तरका खाता में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है जिसमें सायल अकेला 1/2 हिस्सा , गैरसायल न0 1 अकेला 1/4 हिस्सा , गैरसायल न0 2 ता 4 बहिब 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार दर्ज है सायल एवं गैरसायल न0 1 ता 4 दोनो ही मुश्तरका खाते में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है राजस्व रिकार्ड में सायल व गैरसायल न0 1 ता 4 दोनो ही रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज होने से सुविधा का सन्तुलन एव प्रथम दृष्टया प्रकरण दोनो के पक्ष में समान रूप से पाया जाता है।

सायल का कथन है मुश्तरका खाते की भूमि में उसके हक हिस्सा की भूमि में गैरसायल दखल नही करे जिसे गैरसायलान ने अस्वीकार किया है।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सायल व गैरसायलान जो मुश्तरका खाते में दर्ज है,बाहमी बटवारा होना गैरसायल स्वीकार करतें है जब आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया गया है तो एक दुसरे के हक हिस्सा की भूमि में दखल नही दिया जाना चाहिये यहि सायल का अनुतोष है कि उसके हक हिस्सा की भूमि में गैरसायल दखल नही करे। (2018)

गैरसायलान ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र में दस्तबरदारी दिनांक 23.03.2018 को शुन्य एवं प्रभावहीन करवाना अंकित किया गया है जिसके सम्बध में प्रार्थना पत्र में किसी प्रकार का अनुतोष नही दिया जा सकता है।

सायल एवं गैरसायलान न0 1 ता 4 बतौर मुश्तरका खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं दोनो पक्ष बाहमी बटवारा होना स्वीकार करते है जब तक वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर खाता विभाजन नही हो जाता तब तक सायल के हक हिस्सा में गैरसायल किसी प्रकार से दखल नही करने के लिये सायल पाबन्द करवाने का अधिकारी है यदि पाबन्द नही किया जाता है और गैरसायल सायल के हक हिस्सा में दखल कर देता है तो अपूर्णीय क्षति सायल को हो सकती है इसलिये सायल के हकों के मध्यनजर गैरसायल को सायल के हक हिस्सा की भूमि में दखल देने से रोका जाना न्यायोचित है ।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपूर्णीय क्षति के बिन्दु सायल के पक्ष में होने के कारण सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा दिनांक 03.07.2018 को कार्यालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाता है उक्त भूमि में यदि खाला व रास्ता है तो उस पर उक्त स्थगन आदेश लागू नही होगा व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/03/20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)